



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 578 राँची, शुक्रवार, 31 भाद्र, 1945 (श०)
22 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

14 जुलाई, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-51/2015 का० 3917--श्री विजय कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह के विरुद्ध परिवादी श्री रणधीर वर्णवाल, ग्राम पडरिया, पो०-रूपायडीह, बिरनी, गिरिडीह द्वारा जेरोक्स मशीन की खरीद में अनियमितता बरतने, पोषाहार राशि से संबंधित गबन के साक्ष्यों को छुपाने, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, बिरनी में आग लगाने का प्रयास करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त परिवाद पत्र पर विभागीय पत्रांक- 7757, दिनांक 26.08.2015 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया से कराते हुए जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 677, दिनांक 21.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप को प्रथम दृष्ट्या सही नहीं प्रतिवेदित किया गया।

अतः उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री विजय कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह से संबंधित इस परिवाद पत्र को संचिकास्त किया जाता है ।

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के उप सचिव ।
